



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012023-243281
CG-DL-E-30012023-243281

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944

No. 430]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/ MAGHA 10, 1944

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

का.आ. 444(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित छह उत्पादों हेतु दिनांक 05.09.2017 के का.आ. 2920 (अ) के तहत "सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017" जारी किया था, जिसके प्रभावी होने की तारीख 05.09.2018 थी और इसे दिनांक 12.10.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 5259(अ) के तहत संशोधित किया गया था। और यतः दिनांक 28.07.2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 3535(अ) के तहत एसपीवी इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन को दिनांक 31.12.2022 तक बढ़ाया गया था।

2. और यतः सीमित परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपालन के लिए अधिक समय की मांग को ध्यान में रखते हुए, एसपीवी इन्वर्टर (मद 4-5) के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2017 के कार्यान्वयन को स्व-प्रमाणन के आधार पर इस शर्त के अध्येधीन दिनांक 31.12.2022 से 30.06.2023, अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है कि ऐसे विनिर्माताओं के पास इन मदों के लिए उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट आईएस [मद सं. 4 के लिए आईएस 16221 (भाग 2): 2015/आईईसी 62109-2 : 2011 और मद सं. 5 के लिए आईएस 16169 : 2014/आईईसी 62116 : 2008] के अनुरूप वैध आईईसी प्रमाणपत्र हो और मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट हो, ताकि आदेशों का सुचारु कार्यान्वयन हो सके।

[फा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी (गुणवत्ता नियंत्रण)]

डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2023

S.O. 444(E).—whereas the Central Government had issued “Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017” vide S.O. 2920 (E) dated 5.9.2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5.9.2018 and the same was modified vide S.O. 5259(E) published in Gazette of India dated 12.10.2018. And whereas, self- certification for SPV inverters (items 4-5) was extended up to 31.12.2022 vide S.O. 3535(E) published in Gazette of India dated 28.07.2022.

2. And whereas, in view of the availability of limited test facilities and providing more time for compliance, the implementation of Quality Control Order, 2017 for SPV inverters (items 4-5) stands extended from 31.12.2022 to 30.06.2023 or till further orders, whichever is earlier, based on self-certification, subject to the condition that such manufacturers have valid IEC certificates corresponding to IS (IS 16221(Part 2):2015/IEC 62109-2:2011 for item No 4 and IS 16169:2014/IEC 62116:2008 for item No. 5), specified in the said order for these items and test reports from accredited test labs, for smooth implementation of the order.

[F. No. 223/140/2017-R&D (Quality Control)]

Dr. ARUN K. TRIPATHI, Adviser/Scientist G, MNRE